न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

(14)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 24/2010 दायर दिनांक 22.03.2010

उनवान

1. विष्णु पि. सत्यनारायण जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
2. राजू पि. सत्यनारायण जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
3. गुड्डीबाई बैवा सत्यनारायण जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. श्रीनाथ पि. बिहारीलाल जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगणं

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्धान अभिभाषक–

अभिभाषक वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी
प्रतिवादी सं. 1 – श्री विनोद जैन

<u>**निर्णय**</u> **दिनांक 20.06.2025**

उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड * न्यायालय

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यह कि ग्राम माथनिया पटवार हल्का माथनिया तहसील पिड़ावा हाल तहसील रायपुर में खाता संख्या 290 कि खसरा नं. 147 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 148 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 150 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 151 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 151/1525 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 152 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित है जो वादीगण तथा प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है इस आराजी में 2/3 हिस्सा वादीगण का तथा प्रतिवादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा निहित है। यह कि वादीगण अपने हिस्से पर मौके पर काबिज है और काश्त कर रहे है लेकिन वादीगण को अपनी आराजी शामलाती में होने की वजह से वादीगण को अपने हिस्से का लगान जमा कराने भूमि सुधार [illegible] आराजी को उपयोगी बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना [illegible] है इसलिए वादीगण अपने हिस्से कि आराजी को अच्छी से अच्छी [illegible] का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:38:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बंटवारा करवाकर अपना खाता राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज करवाना चाहते है। यह कि विवादग्रस्त आराजी में वादीगण का 2ध्3 हिस्सा निहित है और वादीगण को अपने हिस्से का बंटवारा कराने का कानूनी अधिकार है। यह कि वाद कारण दिनांकरू 02.03.2010 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपने हिस्से की आराजी में भूमि सुधार हेतु कार्य करने लगे और प्रतिवादी नं. 1 ने मना कर दिया तथा बंटवारे कराने के लिए कहा तो उसमें भी इन्कार कर दिया उत्पन्न हुआ। यह कि विवादग्रस्त आराजी ग्राम माथनिया तह० पिड़ावा पटवार हल्का माथनिया उप तहसील सुनेल में स्थित है यह आराजी वादीगण के पारिवारिक बंटवारे के आधार पर हिस्से में आई तथा वादीगण ने इसके पश्चात मथरा बाई बैवा बिहारीलाल से उनका 1/4 हिस्सा रजिस्टर्ड बयनामें से खरीद किया है इस प्रकार वादीगण का कुल आराजी में 2/3 हिस्सा मौजुदा रेकार्ड के अनुसार हो और मौजुदा रेकार्ड के अनुसार ही वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा माननीय न्यायालय से चाहते है। यह कि वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। यह कि वाद वादीगण अवधी मध्य होकर उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय में पेश है। अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि बाहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न डिक्री पारित की जावे –

(अ) ग्राम माथनिया पटवार हल्का माथनिया कानूनगो सर्कील हेमड़ा तहसील पिड़ावा कि वर्तमान खाता संख्या 290 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा में से वादीगण के 2/3 हिस्से का बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग खाता दर्ज किया जावे और राजस्व रेकार्ड में अमल दर्ज किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण के हक में हो दिलायी जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री विनोद जैन उपस्थित परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 28.1102017 को जवाब [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:38:42 IST
Reason: SelfAttested

3. अभिभाषक वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में [illegible]वजी साक्ष्य में ग्राम माथनिया के खाता सं 290 की [illegible] खाता सं 259,

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(16)

577 की जमाबंदी सं. 2075–78 की नकले प्रस्तुत की एवं मौखिक साक्ष्य में गवाह महेश गुप्ता पि. सत्यनारायण, गुडडीबाई उर्फ कांतीबाई पत्नि सत्यनारायण और दयाराम पि. नानूराम के शपथ पत्र पेश किये।

4. अभिभाषक उभयपक्ष बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम माथनिया तहसील रायपुर कि वर्तमान खाता संख्या 577 कुल किता 4 कुल रकबा 2.2131 है. वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की शामलाती खातेदारी की है और शामलाती आराजी के प्रत्येक हिस्से प्रत्येक सहखातेदार का समान हक व अधिकार निहित होता है। प्रत्येक सहखातेदार को धारा 53 आर.टी.एक्ट के अधीन शामलाती भूमि का बंटवारा कराने का अधिकार है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य मौके पर वादग्रस्त आराजी का बंटवारा होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है लेंकिन प्रतिवादीगण के द्वारा बंटवारा कराने की मना करने से आराजी के विकास में परेशानियां उत्पन्न हो रही है। अतः वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते दर्ज की जावे।

5. अभिभाषकगण उभयपक्ष ने एकमत होकर अपनी बहस में आगे तर्क किया कि राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने की वजह से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को अपने हिस्से की भूमि सुधार करने, कृषि ऋण लेने, सीमाज्ञान कराने, तार–बाउन्ड्री कराने में आदि में काफी परेशानी हो रही है इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 अपने अपने हिस्से की आराजी का राजस्व रिकार्ड में विभाजन कराये जाने की पात्रता रखते है।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष ने बहस के दौरान कथन किया कि पक्षकारान के हिस्से की आराजी को रहन दर्ज कर कृषि ऋण प्रदान किया है। अतः पक्षकारान के हिस्से की भूमि पर बैंक के पक्ष में रहन का आदेश यथावत रखते हुए खाता विभाजन किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:38:42 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर गौर किया। ग्राम माथनिया तहसील रायपुर कि वर्तमान खाता संख्या 577 कुल

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

किता 4 कुल रकबा 2.2131 है. आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की शामलाती खातेदारी की आराजी है जिसमें वादीगण का 2/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हक व हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अतः साबित है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार कृषक है। अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा बहस के दौरान एकतम होकर विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त अनुसार ग्राम माथनिया तहसील रायपुर कि वर्तमान खाता संख्या 577 कुल किता 4 कुल रकबा 2.2131 है. भूमि का वादीगण का 2/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा अनुसार बंटवारा कर अलग खाते दर्ज करने का कथन किया है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की सहखातेदारी में दर्ज है जिसका रिकार्ड में खाता विभाजन नहीं हुआ है। रिकार्डेड सहखातेदार कृषकों के मध्य खाता विभाजन के प्रावधान धारा 53 आरटीएक्ट में उपलब्ध है। प्रत्येक सहखातेदार को भूमि सुधार एवं अन्य कार्यो हेतु शामलाती खाते में अपने हिस्से की कृषि जोत का खाता विभाजन कराने का हक व अधिकार है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि शामलाती आराजी के प्रत्येक सहखातेदार को धारा 53 आरटीएक्ट के अधीन अपने हिस्ससे की आराजी का खाता विभाजन कराकर पृथक से खाते दर्ज कराने का अधिकार है।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत सहखातेदारी की आराजी के विभाजन के लिए धारा 53(2) का अवलोकन जरूरी है जो निम्न प्रकार है–

A division of holding shall be effected in the following manner- 53 (2) (ii)- by the decree or order of competent court passed in a suit by one or more the co-tenants for the purpose of the deviding the holding and distrebuiting the rent hereof over the several portions into which it is divided.

9. धारा 53(2) आरटीएक्ट के अनुसार सहखातेदार को शामलाती खाते में अपने हिस्से की कृषि जोत का भूमि सुधार एवं अन्य खास कार्यो हेतु खाता विभाजन कराने का हक व अधिकार है। धारा 53(2)(ii) RTA के अधीन न्यायालय के आदेश/डिक्री से खाता/कृषि जोत का विभाजन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:38:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(18)

प्रकिया राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 में दी गई है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम माथनिया तहसील रायपुर कि वर्तमान खाता संख्या 577 कुल किता 4 कुल रकबा 2.2131 है. आराजी के सम्बन्ध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीएक्ट में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम माथनिया तहसील रायपुर कि वर्तमान खाता संख्या 577 कुल किता 4 कुल रकबा 2.2131 है. आराजी के सम्बन्ध में वादी का खाता विभाजन का वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अधीन ग्राम माथनिया तहसील रायपुर कि वर्तमान खाता संख्या 577 कुल किता 4 कुल रकबा 2.2131 है. भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मंध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। पक्षकारान के हिस्से पर बैक रहन यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:38:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 24/2010

दायर दिनांक 22.03.2010

उनवान

1. विष्णु पि. सत्यनारायण जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
2. राजू पि. सत्यनारायण जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
3. गुड्डीबाई बैवा सत्यनारायण जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. श्रीनाथ पि. बिहारीलाल जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक–

अभिभाषक वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

प्रतिवादी सं. 1 – श्री विनोद जैन

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....मिनजाबिन मुदालयह हुक्म व डिक्री दी जाती है कि ग्राम माथनिया तहसील रायपुर कि वर्तमान खाता संख्या 577 कुल किता 4 कुल रकबा 2.2131 है. आराजी के सम्बन्ध में वादी का खाता विभाजन का वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अधीन ग्राम माथनिया तहसील रायपुर कि वर्तमान खाता संख्या 577 कुल किता 4 कुल रकबा 2.2131 है. भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। पक्षकारान के हिस्से पर बैक रहन यथावत रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena (दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
Date: 2025.11.04 11:38:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड

Scanned with OKEN Scanner

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बपारह .....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.06.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला- झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:38:42 IST
Reason: SelfAttested

शामलाती खाते में दर्ज है इस आराजी में 2/3 हिस्सा वादीगण का तथा

निरन्तर 2 पर—

Scanned with OKEN Scanner